संख्या-25/2019/1477/60-2-19-2/3(27)13टीसी-।।।

प्रेषक,

गया प्रसाद,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य पोषण मिशन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2019

विषय : राज्य पोषण मिशन के संचालन हेतु सृजित 28 पदों की निरन्तरता बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37/रा0पो0मि0/2019-20 दिनांक 24.04.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि राज्य पोषण मिशन के प्रभावी संचालन हेतु शासनादेश संख्या-3166 /60-2-2015-2/3(27)/13टीसी-।।। दिनांक 08.02.2016 द्वारा निम्नलिखित 28 पदों को दिनांक 29.02.2016 तक की अवधि के लिए, यदि इसके पूर्व इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	रैंक	स्केल	वित्तीय सहायता
1.	महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन	1	आई0ए0एस0 अथवा अन्य किसी सेवा के उपयुक्त अधिकारी/समुचित योग्यता रखने वाले समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्त)।	-	यूनीसेफ
2.	नोडल अधिकारी आई.सी.डी.एस.	1	संयुक्त निदेशक अथवा वरिष्ठ स्तर	प्रतिनियुक्ति	एन.आर. एच.एम.
3.	नोडल अधिकारी स्वास्थ्य/ एन.आर.एच.एम.	1	संयुक्त निदेशक अथवा वरिष्ठ स्तर	प्रतिनियुक्ति	एन.आर. एच.एम.
4.	वित्त अधिकारी	1	संयुक्त निदेशक अथवा वरिष्ठ स्तर	प्रतिनियुक्ति	एन.आर. एच.एम.
5.	प्रशिक्षण सलाहकार	1	विकास के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	यूनीसेफ
6.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सलाहकार	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	यूनीसेफ
7.	आई0ई0सी0 डिजाइन सलाहकार	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	एन.आर. एच.एम.
8.	पोषण विशेषज्ञ	1	पोषण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष काम करने का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	एन.आर. एच.एम.
9.	किशोरी एवं महिला सम्बन्धी तकनीकी	1	महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दों पर कम से कम 05 वर्ष का	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	एन.आर. एच.एम.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विशेषज्ञ		अनुभव		
10.	प्रशासनिक अधिकारी	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति	एन.आर. एच.एम.
11.	लेखाकार	1	वित्तीय कार्यों में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति	एन.आर. एच.एम.
12.	एम0आई0एस0 सांख्यिकीय	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	एन.आर. एच.एम.
13.	एम0आई0एस0 सांख्यिकीय एक्जीक्यूटिव	1	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	एन.आर. एच.एम.
14.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	5	सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव	आउट सोर्सिंग	एन.आर. एच.एम.
15.	वरिष्ठ सहायक	4	कार्यालय, स्थापना सम्बन्धी कार्यों का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग	एन.आर. एच.एम.
16.	चपरासी सह क्लीनर	3	कार्यालय स्थापना सम्बन्धी कार्यों का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	एन.आर. एच.एम.
17.	सफाई कर्मचारी	1	कार्यालय स्थापना सम्बन्धी कार्यों का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	एन.आर. एच.एम.
18.	सुरक्षा स्टाफ	2	चतुर्थ श्रेणी कार्यालय सम्बन्धी कार्यों को करने में निपुणता	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	एन.आर. एच.एम.
	कुल पदों का योग	**28**			

3- महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1428/60-2-15-2(27)/13 टीसी-IV दिनांक 25.08.2015 द्वारा उक्त पदों के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था को संशोधित करते हुए उन विशिष्ट पदों के अनुरूप शैक्षिक योग्यता, अर्हता, संविदा धनराशि एवं अन्य सभी पदों, जिनमें प्रतिनियुक्ति/आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात किया जाना है, के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य पोषण मिशन द्वारा बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम हेतु अपने सहयोगी विभागों के साथ समन्वय करते हुए उनके द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। मिशन की देख-रेख में समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं मण्डलीय/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रदेश में लगभग 7200 ग्राम सभाएं गोद लेते हुए वहां संचालित कार्यक्रमों का सघन अनुश्रवण कर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मिशन द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में वजन अभियान का आयोजन कर लगभग 13 लाख अतिकुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कराया गया है। उक्त कार्यों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा सृजित उक्त 28 पदों की उपयोगिता बनी हुई है। अतः श्री राज्यपाल महोदय उक्त 28 पदों की निरन्तरता की दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2019 तक कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 29.02.2020 तक की अवधि के लिए, यदि इसके पूर्व इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- उक्त पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-2-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-2-समाज कल्याण-102 बाल कल्याण-16-राज्य पोषण मिशन-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2/2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 2 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-25/2019/1477(1)/60-2-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2- मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निजी सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।